Guidelines for Observance by the Authorities

1. The election process is the back-bone of our democratic system. The public has, therefore, a right to know through the medium of the press all public acts of the public persons/functionaries engaged in the election process. It is, therefore, essential that not only should the election be free and fair but the press should be allowed unhindered access to information and venues of the election process, subject to reasonable restrictions in the interest of the security.
2. Rules/orders regulating entry of the media persons to places of election should be notified and the cut-off date for applying for passes should be given due and advance publicity.
3. As there is nothing secret or confidential about the electoral process, it is the duty of the authorities to give access to media persons to the polling booth and to the centres where counting process is underway and all other places where they can collect correct information with regard to different stags of the election. Advance information should be provided to all the media persons as to the cut-off date for filing applications for passes. If all the applications received by the due date, satisfy the criteria laid down, they must be uniformly applied and passes be issued to them by the concerned authorities without any discrimination.
4. The authorities cannot prohibit the use of vehicles by the media persons for movement during elections although its use for the voters by candidates and their agents is prohibited because the journalist have to move from booth to booth and collect information from all the centres whether on the polling day or at the time of counting.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश

1. चुनाव प्रक्रिया हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। अतएव जनता को प्रेस के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में लगे सरकारी कर्मियों/व्यक्तियों के सभी सार्वजनिक क्रिया कलापों के सम्बन्ध में जानने का अधिकार है। अतएव यह अनिवार्य है कि केवल चुनाव ही स्वतंत्र तथा निष्पक्ष नहीं होने चाहिए बल्कि प्रेस को भी, सुरक्षा के हित में संगत व उपयुक्त प्रतिबंधों के अधीन, बिना किसी बाधा के चुनाव प्रक्रिया के स्थान तथा सूचना तक पहुँचने की अनुमति होनी चाहिए। प्राधिकार पत्रों का एक पक्षीय प्रत्याहरण का अभिप्राय जनहित की महत्वपूर्ण सूचना को प्राप्त करने तथा प्रसारित करने की प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुपयुक्त प्रतिबंध है।
2. चुनाव प्रक्रिया के स्थानों में मीडिया के व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित करने वाले नियम/आदेशों को अधिसूचित किया जाना चाहिए और "पासों" के लिए आवेदन करने की निर्धारित तारीखों को उचित रूप से तथा पर्याप्त समय रहते से प्रचारित किया जाना चाहिए।
3. चूंकि, चुनाव प्रक्रिया के विषय में कोई बात गुप्त या गोपनीय नहीं होती, अतः अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे मीडिया के व्यक्तियों को मतदान केन्द्रों तथा उन मतगणना केन्द्रों तक पहुँचने दें, जहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया चल रही हो और उन सभी स्थानों पर पहुँचने दें जहाँ से वे चुनाव के विभिन्न स्तरों से सम्बद्ध सही सूचना एकत्रित कर सकते हों। सभी मीडिया व्यक्तियों को पास के लिए आवेदन पत्र देने के लिए अंतिम तारीख के सम्बन्ध में सूचना पहले से ही दे देनी चाहिए। यदि निश्चित तारीख तक प्राप्त सभी आवेदन पत्र, निर्धारित मापदंड को संतुष्ट करते हैं तो उन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के तथा समतुल्य उन्हें पास जारी कर दिए जाने चाहिए।
4. जैसाकि पत्रकारों को सूचना एकत्रित करने के लिए एक बूथ से दूसरे बूथ तक जाना पड़ता है चाहे वह चुनाव के दिन हों या गिनती के समय हों, अतः अधिकारी, चुनाव को दौरान, मीडिया के व्यक्तियों द्वारा आने-जाने के लिए वाहनों के प्रयोग को नहीं रोक सकते। यद्यपि, उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटों द्वारा मतदाताओं के लिए उसका प्रयोग निषिद्ध होता है।

#

#

Guidelines to Media on Election Reporting

1. It will be the duty of the press to give objective reports about the election and the candidates. The newspapers are not expected to indulge in unhealthy election campaigns, exaggerated reports about any candidate/party or incident during the elections. In practice, two or three closely contesting candidates attract all the media attention. While reporting on the actual campaign, a newspaper may not leave out any important point raised by a candidate and make an attack on his or her opponent.
2. Election campaign along communal or caste lines is banned under the Representation of the People Act, 1951. The press should eschew reports which tend to promote feelings of enmity or hatred between people on the ground of region, religion, race, caste, community or language.
3. The press should refrain from publishing false or critical statements in regard to the personal character and conduct of any candidate or in relation to the candidature or withdrawal of any candidate or candidature, to prejudice the prospects of that candidate in the elections. The press shall not publish unverified allegations against any candidate/party.
4. The press shall not accept any kind of inducement, financial or otherwise, to project a candidate/party. It shall not accept hospitality or other facility offered to them by or on behalf of any candidate/party.
5. The press is not expected to indulge in canvassing or a particular candidate/party. If it does, it shall allow the right of reply to the other candidate/party.
6. The press shall not accept or publish any advertisement at the cost of public exchequer regarding achievements of a party/government in power.
7. The press shall observe all the directions/orders/instructions of the Election Commission/Returning Officer or Chief Electoral Officer issued from time to time.
8. Whenever the newspapers publish pre-poll surveys, they should take care to preface them conspicuously identifying the institutions which have carried on such surveys, the individuals and organisations which have commissioned the surveys, the size and nature of sample selected the method of selection of the sample for the findings and the possible margin of error in the findings.
9. In the event of staggered polls, no newspaper shall publish exit-poll surveys, however, genuine they may be, till the last date of the polls is over.

चुनाव से सम्बन्धित रिपोर्टिंग के लिए मीडिया के लिए दिशा निर्देश

1. प्रेस का यह कर्तव्य होगा कि चुनाव तथा प्रत्याशियों के बारे में निष्पक्ष रिपोर्ट दें। समाचारपत्रों से अस्वस्थ चुनाव अभियानों में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। चुनावों के दौरान किसी प्रत्याशी, दल या घटना के बारे में अतिश्योक्तिपूर्ण रिपोर्ट न दी जाएं। वस्तुतः कड़े मुकाबले के बारे दो या तीन प्रत्याशी ही मीडिया का सारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक अभियान की रिपोर्ट देते समय समाचारपत्र को किसी प्रत्याशी द्वारा उठाए गए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए और न ही उसके विरोधी पर कोई प्रहार करना चाहिए।
2. निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत सांप्रदायिक अथवा जातीय आधार पर चुनाव अभियान की अनुमति नहीं है। अतः प्रेस को ऐसी रिपोर्टों से दूर रहना चाहिये जिनसे धर्म, जाति, मत, संप्रदाय अथवा भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाएं पैदा हो सकती हों।
3. प्रेस को किसी प्रत्याशी के चरित्र या आचरण के बारे में या उसकी प्रत्याशिता के संबंध में अथवा किसी प्रत्याशी का नाम अथवा उसकी प्रत्याशिता वापस लिए जाने के बारे में ऐसे झूठे या आलोचनात्मक वक्तव्य छापने से बचना चाहिए जिससे चुनाव में उस प्रत्याशी की संभावनाएं दुष्प्रभावित होती हों। प्रेस किसी भी प्रत्याशी/दल के विरुद्ध अपुष्ट आरोप प्रकाशित नहीं करेगा।
4. प्रेस किसी प्रत्याशी/दल की छवि प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन-वित्तीय या अन्य - स्वीकार नहीं करेगा। वह किसी भी प्रत्याशी/दल द्वारा उन्हें पेश किया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएं स्वीकार नहीं करेगा।
5. प्रेस से किसी प्रत्याशी/दल-विशेष के प्रचार में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। यदि वह करता है तो वह अन्य प्रत्याशी/दल को उत्तर का अधिकार देगा।
6. प्रेस किसी दल/सत्तासीन सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खर्च पर कोई विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगा।
7. प्रेस निर्वाचन आयोग/निर्वाचन अधिकारियों अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा।
8. जब भी समाचारपत्र मतदान पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं, तो उन्हें सर्वेक्षण करवाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का उल्लेख सावधानीपूर्वक करना चाहिए और प्रकाशित होने वाली उपलब्धियों के नमूने का माप एवं उसकी प्रकृति के चयन की पद्धति में गलतियों के संभावित प्रतिशत का भी ध्यान रखना चाहिए।
9. अगर चुनाव अलग-अलग चरणों में हो, तो किसी भी समाचारपत्र को मतदान पूर्व सर्वेक्षण चाहे वे सही भी क्यों न हो प्रकाशित नहीं करना चाहिए।